उप-विभाजन एवं अपखण्डन की समस्या का हल

अथवा

खेतों का आकार छोटा होने से रोकने के लिए सुझाव

यदि कृषि में विकास करना है तो उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्या का हल दो दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर करना होगा। एक तो वर्तमान में जो छोटे-छोटे खेत हैं उन्हें एक स्थान पर करना होगा। दूसरे, भविष्य में उप-विभाजन व अपखण्डन न हो इसकी भी कोई कानूनी व्यवस्था करनी होगी। इन दृष्टियों से उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्या को निम्न प्रकार हल किया जा सकता है। **इन्हीं बातों को खेतों का आकार छोटा होने से रोकने के लिए सुझाव या लघु सीमान्त कृषकों की संख्या कम करने के सुझाव या दशा सुधारने के सुझाव भी कहते हैं।**

(1) **चकबन्दी**—चकबन्दी का अर्थ एक कृषक के बिखरे हुए खेतों को एक चक कर देने से है। इसका आशय यह है कि खेतों के कुल मूल्य के बराबर एक स्थान पर एक बड़ा खेत प्रदान करना। यह चकबन्दी ऐच्छिक व कानूनी दोनों ही प्रकार से हो सकती है। अब तक मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय व नगालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों ने चकबन्दी कानून बनाकर लागू कर दिये हैं! अब तक देश में 1,633.47 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी की जा चुकी है जो काश्त की जाने वाली भूमि का लगभग 40 प्रतिशत है। हरियाणा, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है।

(2) **भूमि की न्यूनतम सीमा का निर्धारण**—भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन को रोकने के लिए जोतों की न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में लगभग सभी राज्यों ने अधिनियम बना दिये हैं जिनमें जोत की न्यूनतम सीमा भी निर्धारित कर दी गयी है।

(3) **भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण**—भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण भी किया जाना चाहिए जिससे कि उन व्यक्तियों से, जिनके पास भूमि निश्चित मात्रा से अधिक है, सरकार द्वारा ली जा सके और उन कृषकों में वितरित की जा सके जिनके खेत अनार्थिक हैं। इस सम्बन्ध में लगभग सभी राज्यों ने अधिनियम बनाकर लागू कर दिये हैं।

(4) **सहकारी कृषि**—उप-विभाजन व अपखण्डन का बहुत ही महत्वपूर्ण हल सहकारी कृषि हो सकता है। यहाँ सहकारी कृषि से अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कृषक अपनी इच्छा से समानता के आधार पर मिलकर भूमि का संयुक्तीकरण कर लेते हैं और फिर उस पर खेती करते हैं तथा उत्पादन को आपस में निश्चित आधार पर बाँट लेते हैं।

(5) **उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन**—उप-विभाजन व अपखण्डन को भविष्य में रोकने के लिए उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे कि एक निश्चित मात्रा से कम भूमि होने पर उसका विभाजन न किया जा सके, लेकिन यदि विभाजन आवश्यक हो और खेत निश्चित आकार से छोटा हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में उनकी सहकारी खेती करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

(6) **ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास**—जनसंख्या में वृद्धि होने से भूमि पर दबाव बहुत बढ़ गया है। अतः इस दबाव को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि परिवार के सदस्यों द्वारा विभाजन पर जोर न दिया जा सके और वे अपने जीवनयापन के लिए उद्योगों में लग सकें।

जोतों की चकबन्दी

स्ट्रिकलैण्ड (Strikland) के अनुसार, "**चकबन्दी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्वधारी कृषकों को उनके इधर-उधर बिखरे हुए खेतों के बदले में उसी किस्म के कुल उतने ही आकार के एक या दो खेत लेने के लिए राजी किया जाता है।**" इस प्रकार चकबन्दी एक परिवार के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने की प्रक्रिया है, लेकिन चकबन्दी करने में उसी प्रकार की भूमि मिले जिस प्रकार की कृषक की भूमि भिन्न-भिन्न स्थानों पर है, ऐसा होना सदा सम्भव नहीं है। उसको पहले से अच्छी या घटिया भूमि मिल सकती है ऐसी स्थिति में भूमि का मूल्य लगाया जाता है। यदि उसको पहले से अच्छी भूमि मिलती है तो उसकी मात्रा कम होती है। इसके विपरीत, यदि भूमि पहले से घटिया मिलती है तो उसकी मात्रा अधिक होती है, लेकिन जब

Scanned with CamScanner